न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 290–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–9–2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर उमरिया जिला उमरिया प्रकरण कमांक 116/निगरानी/2010–11

पार्वती सिंह पत्नी जगवती सिंह मण्डावी
निवासी ग्राम चंदिया तहसील चंदिया
जिला उमरिया म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

1. छोटी बाई
2. तम्मा कोल दोनों पिता स्व0 मचाली कोल
   निवासी ग्राम चंदिया तहसील चंदिया
   जिला उमरिया म0प्र0

–––––अनावेदकगण

– – – – – –

श्री जे0पी0सिंह, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 02 नवम्बर 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर उमरिया जिला उमरिया के आदेश दिनांक 02–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि मौजा चंदिया तहसील चंदिया स्थित आराजी खं0 नं0 2331/2 रकवा 0.026 हे0 को निगरानीकर्ता द्वारा भूमि के पूर्व पट्टेदार बिरझू पिता सुघइया कोल

साकिन चंदिया से कय किया था। नामांतरण के पश्चात् निगरानीकर्ता भूमि की भूमिस्वामी पट्टेदार होकर कब्जा दखल में चला आ रहा है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने पट्टे व अधिपत्य की आराजी का सीमांकन अधीक्षक भू–अभिलेख जिला उमरिया द्वारा किया जाकर अपने पत्र कमांक 1646/सीमां0प्रति0/10 उमरिया दिनांक 09–09–2010 के द्वारा समस्त सहपत्रों सहित संलग्न कर नायब तहसीलदार चंदिया को भेजा। सीमांकन के समय कोई आपत्ति नहीं आई और सीमांकन प्रतिवेदन नायब तहसीलदार चंदिया के यहां भेजने पर उत्तरवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। कोई आपत्ति न होने से न्यायालय तहसीलदार चंदिया द्वारा सीमांकन की पुष्टि अपने आदेश दिनांक 20–9–2010 द्वारा की गई। उत्तरवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में तहसीलदार चंदिय के आदेश दिनांक 20–9–10 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की जिसके साथ 5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर ने निगरानी को समय–सीमा में मानकर स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 02–9–2013 के द्वारा तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि निगरानीकर्ता आराजी की भूमिस्वामी मालिक पट्टेदार व आधिपत्यधारी है तथा वह अपने पट्टे की आराजी का सीमांकंन कराने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उत्तरवादीगण द्वारा सरहदी काश्तकार होने के भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये बिना किसी समुचित कारण के अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। यह भी तर्क दिया कि अधीक्षक भू–अभिलेख उमरिया ने दिनांक 29–6–2010 को सीमांकन किये जाने के

संबंध में दिनांक 28—6—2010 को सूचना पत्र जारी कया गया था तथा अन्य सरहदी कास्तकारों को भी सूचना दी गई थी। उत्तरावादीगण सीमांकन के समय मौके पर उपस्थित भी थे किन्तु पंचनामा में उनके द्वारा हस्ताक्षर/अगूंठा जानबूझकर नहीं लगाये गये जिसकी टीप पंचनामे में अंकित है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें सीमांकन की सूचना नहीं थी। अनावेदकगण को सीमांकन के पूर्व सूचना थी तथा वे सीमांकन के समय भी उपस्थित थे लेकिन अनावेदकगण द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। फिर भी अपर कलेक्टर ने सीमांकन को निरस्त करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदकगण ने उठाई गई आपत्ति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित प्रति अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश के अंतिम पैरा में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा दिनांक 28—6—2010 को जनसुनवाई के माध्यम से अधीक्षक भू—अभिलेख के माध्यम से सीमांकन कराये जाने का आवेदन तत्कालीन अपर कलेक्टर को दिया। इस आवेदन पर अधीक्षक भू—अभिलेख ने सीमांकन की कार्यवाही शुरू कर दी इसकी सूचना होने पर अनावेदक द्वारा दिनांक 29—6—2010 को सीमांकन न करने का एक आवेदन अपर कलेक्टर दिया जो अपर कलेक्टर ने अधीक्षक भू—अभिलेख को भेजा गया। इसमें तहसीलदार के स्थगन का भी लेख है। इसके बाद भी अधीक्षक भू—अभिलेख उमरिया द्वारा किए गए नामांतरण की पुष्टि तहसीलदार चंदिया ने दिनांक 20—9—2010 को की गई। सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर

रात्रि को सीमांकन की सूचना देना तथा अगले दिन सीमांकन करना किसी भी प्रकार से विधिअनुकूल नहीं कहा जा सकता। चूंकि सीमांकन की प्रकिया विधिअनुकूल नहीं की गई थी इस कारण अपर कलेक्टर ने अधीक्षक भू—अभिलेख द्वारा सीमांकन की प्रकिया एवं तहसीलदार का पुष्टिकरण का आदेश दिनांक 20—9—2010 निरस्त किया है। अपर कलेक्टर ने विधिवत दोनों पक्षों को सुनने एवं अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात ही आदेश पारित किया है। अपर कलैक्टर के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर